सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

4 Aasadh, 1942 (S)

No. 298

Ranchi, Thursday, 25th June, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 30/2020 – State Tax

S.O. No. 46, Dated- 25th June, 2020 :- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided, they shall be deemed to be effective from 3rd April, 2020.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 31st March, 2020, in sub-rule (3) of rule 3, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that any registered person who opts to pay tax under section 10 for the financial year 2020-21 shall electronically file an intimation in **FORM GST CMP-02**, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before 30th day of June, 2020 and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 upto the 31st day of July, 2020.".

3. In the said rules, in sub-rule (4) of rule 36, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the said condition shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August, 2020 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period September, 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.".

[File.No Va Kar / GST /01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vandna Dadel,
Secretary, Commercial taxes Department

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, S.O. No.28 Dated- 28th June, 2017 and last amended vide notification No. 16/2020 - State Tax, dated the 25th June, 2020, Published vide S.O. No. 39, dated the 25th June, 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं 30/2020 – राज्य कर

एस. ओ. सं. 46, दिनांक- 25 जून, 2020 :– झारखंड सरकार, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखंड माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियमावली, 2020 है ।
   (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 3 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त मानी जाएगी।
2. झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (3)में, 31 मार्च, 2020 से, निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष 2020-21के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लेता है, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना को जून, 2020 के 30 वें दिन या उससे पूर्व तक फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3 में विवरण जुलाई, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करेगा।”।

3. उक्त नियमावली के, नियम 36 के उप-नियम (4) में, निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“परंतु कि उक्त शर्त फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के महीनों के लिए संचयी रूप से लागू होगी और सितंबर, 2020 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन कर के प्रस्तुत की जाएगी।”।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी/01/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सचिव, वाणिज्य-कर विभाग

टिप्पणी- मूल नियम अधिसूचना झारखंड के राजपत्र, असाधारण में एस. ओ. सं. 28, दिनांक- 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा एस. ओ. सं. 39, दिनांक- 25 जून, 2020, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.16/2020-राज्य कर, तारीख 25 जून, 2020 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 298 -- 50